समाहरणालय,बेगूसराय।

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3982/आ0प्र0, दिनांक 29.11.2011 द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में संभावित बाढ़ 2013 के पूर्व तैयारी के क्रम में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्यिों के आवागमन परिचालन को सुगम बनाने हेतु तथा बाढ़ के समय प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त निविदा के आधार पर क्रय समिति द्वारा दिनांक 14.06.2013 को लिए गए निर्णय के आलोक में सबसे कम दर वाले निविदा दाता महारानी कन्स्ट्रक्शन, मोकामा जिला पटना को नाव आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया जाता है।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	साईज	दर (प्रति अदद)	गुणवत्ता
1	2	3	4	5	6
1	नाव	20 बड़ी	40'X10'X2'	89,999/–	जामुन एवं सखुआ की लकड़ी। मोटाई–1.25",1.5",2.0" नाव की तल्ली– जामुन का, नाव का साईड–दो फीट (जामुन का एक फीट, सखुआ का एक फीट), नाव की उपरी पट्‌टी–सभी लकड़ी सखुआ का, नाव के अंदर एवं उपर में दी जाने वाली सभी लकड़ी तथा तख्ता–सखुआ का। आवश्यकतानुसार लकड़ी की मोटाई का प्रयोग करना अनिवार्य है।
2	नाव	80 मंझौली	25'X8'X2'	49,999/–	

1. आपूर्तिकर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि एकरारनामा दो दिनों के अन्दर कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेगें।
2. आपूर्तिकर्त्ता को उपरोक्त वर्णित नाव आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आपूर्ति करनी होगी। दोनों साईज के नाव की निर्धारित मात्रा कमशः 20 (बीस) बड़ी, 80 (अस्सी) मंझौली, नाव में से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय को बड़ी 4 (चार), मंझौली 16 (सोलह) नाव आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगें। संबंधित सभी अनुमंडल पदाधिकारी नाव का रख–रखाव एवं भंडारण सुनिश्चित करेगें। आपूर्तिकर्त्ता को कोई परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
3. नाव की आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम व्यय देय नहीं होगा। नाव की आपूर्ति करने के पश्चात् लेखा प्रदायी चेक द्वारा भुगतान 5 प्रतिशत काट कर किया जायगा। काटी गई राशि शर्त्त के अनुसार तीन साल तक सही एवं संतोषजनक रख–रखाव के उपरांत किया ज़ायगा।
4. आपूर्तिकर्त्ता नावों की देख–भाल, उपयोग एवं रख–रखाव के संदर्भ में कम से कम पॉच व्यक्तियों को अनुमंडल वार प्रशिक्षित करेगें ताकि भविष्य में रख–रखाव की समस्या ना हो। आपूर्ति किए गये नाव का माइनर रिपेंरिंग, गहनीकरण एवं रख–रखाव तीन साल तक अपने अनुभवी कारीगरों के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को करना होगा।
5. आपूर्ति की गई नाव में गुणवत्ता एवं किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाने पर आपूर्तिकर्त्ता को सामग्री वापस ले जाना होगा एवं अपने खर्च पर पुनः सही सामग्री की आपूर्ति करनी होगी जिसके लिए कोई परिवहन शुल्क देय नहीं होगा। शर्त नहीं मानने के स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान नहीं किया जायेगा।

6. आपूर्तिकर्त्ता स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार नाव की आपूर्ति सुनिश्चित करेगें। नाव के साथ आवश्यक सामग्री यथा रस्सा मोटा वाल 50 फीट, पतवार 2 पीस, एक लंगर लोहे का एवं अन्य नाव प्रचालन से संबंधित सामग्री भी प्रत्येक नाव पर अलग–अलग आपूर्ति करेगें।

7. अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय की अध्यक्षता में एक निरीक्षण टीम गठित की जाती है। निरीक्षण टीम में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन बेगूसराय/वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय/मोटरयान निरीक्षक, बेगूसराय सदस्य के रूप में नामित किये जाते है। निरीक्षण टीम का दायित्व होगा कि आपूर्ति किए गये नाव के गुणवत्ता की जॉच कर गुणवत्ता प्रमाण–पत्र देगें।

8. आपूर्तिकर्त्ता को यह भी एकरार करना होगा कि आवश्यकता अनुसार बेगूसराय जिले के सभी 18 अंचल मुख्यालयों तक यदि नाव पहूँचाने की आवश्यकता हुई तो पहूँचा देगें। जिसके लिए भी अलग से काई परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

ह0 –

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

ज्ञापांक 420(क) **/ आ0प्र0, दिनांक** 22.6.13 /

प्रतिलिपि: – मेसर्स महारानी कन्स्ट्रक्शन, मोकामा जिला पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, बेगूसराय/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बेगूसराय/वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय/मोटरयान निरीक्षक, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी अनुमंडल पदाधिकारी,बेगूसराय/सभी अंचल अधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बेगूसराय/आई0टी0 मैनेजर, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को बेगूसराय जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

D:seema\aawantan\letter\doc.22